न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

शारदा मसोमात बनाम् **रामेश्वर यादव वगै0**

विविध वाद संख्या –107 / 2024

***U/S* – 163 B.N.S.S.**

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12.09.2024	**प्रथम पक्षः–** 1. शारदा मसोमात, पति– जगदीश ठाकुर साकिन – पचम्बा, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह। **बनाम्** **द्वितीय पक्षः–** 1. रामेश्वर यादव, पिता– स्व0 प्रसादी यादव 2. त्रिवेणी यादव, पिता– स्व0 प्रसादी यादव 3. श्याम सुन्दर यादव, पिता– स्व0 बलदेव यादव 4. मनोज यादव, पिता– स्व0 बलदेव यादव सभी साकिन – पचम्बा, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह। **आदेश** इस वाद की कार्यवाही अंचल अधिकारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।	

12.09.2024

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
मन्दरामों	45	110	2234	0.91 ए0	उ0– भीखन महतो, द0– जंगल साखु, पू0– जंगल साखु, प0– जंगल साखु

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 12.09.2024 को लिखित कथन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित कारण पृच्छा – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. बिहार भू–दान यज्ञ कमिटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. ऑफलाईन लगान रसीद सं0–179757 की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 12.09.2024 को समर्पित लिखित आवेदन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – यह कि प्रथम पक्ष ने जो वाद को लाया है वह जमीन मौजा मंदरामों थाना नं0 45 खाता सं0 110 प्लॉट सं0– 2234 रकवा 0.91 एकड़ में है जिसका चौहद्दी उ0– भीखन महतो, द0– जंगल साखु, पू0– जंगल साखु, प0– जंगल साखु।

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि इस उपरोक्त जमीन प्रथम पक्ष को भू–दान पर्चा से हासिल है पर्चा सं0– 501597 में रकवा 91 डी0 जिसका ऑफलाईन लगान रसीद भोलुम नं0– 4 पेज नं0– 112 में दर्ज है, जमाबंदी जगदीश ठाकुर पिता बढ़न ठाकुर के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष शारदा मसोमात रैयत जगदीश ठाकुर की पत्नी है यह बात अंचल के रिपोर्ट में भी दर्ज है।

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – यह कि यह उपरोक्त जमीन जब से प्रथम पक्ष को प्राप्त है तब से जमीन पर शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं वो आज भी है।

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 07 – यह कि अंचल अधिकारी, सरिया का जो रिपोर्ट आया है वह सरासर गलत है इसमें बहुत सारी बातें गलत है अंचल कर्मचारी, आलोक त्रिगुणाईत पैसा द्वितीय पक्ष से लेकर जैसा तैसा गलत रिपोर्ट बनाकर अंचल अधिकारी सरिया के पास जमा किया है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रथम पक्ष के सारा कागजात का मूल कॉपी की मांग की गई और प्रथम पक्ष का कुछ मूल दस्तावेज भी साथ में ले गया है और पूछने पर कहता है कि जिला जाँच के लिए भेज दिये हैं प्रथम पक्ष को बरगलाया जा रहा है कर्मचारी के द्वारा प्रथम पक्ष से पैसा मांगा गया पैसा नहीं देने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कब्जा बताया गया है, जो कि सरासर गलत है, द्वितीय पक्ष बाजबरन कब्जा करना चाह रहे हैं।

द्वित्तीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 02.09.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-1**
2. हुकुमनामा की छायापति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-2**
3. फर्द रिपोर्ट अमीन बाबत पैमाईस की छाया प्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-3**
4. ऑफलान लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 09 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-4**
5. खालसा रसीद की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-5**
6. महाराजा महेश्वरी प्रसाद नारायण देव से प्राप्त मालगुजारी रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-6**

द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 02.09.2024 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 01 – वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है –

12.09.2024

मौजा	अंचल	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
मंदरामों	सरिया	सरिया/45	110	2234	0.91 एकड़
चौहदी	उ0– भीखन महतो,			द0– जंगल साखु,	
	पू0– जंगल साखु,			प0– जंगल साखु,	

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – यह कि वादग्रस्त भूमि खतियान के अनुसार गैरमजरूवा खास खाते की भूमि है। जो जमीन किस्म परती कदीम दर्ज पाया गया है।

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – वादग्रस्त भूमि प्रथम पक्ष के दस्तावेज के अनुसार

(1) बिहार भूदान यज्ञ कमिटि के पर्चा संख्या– 501597 में युगल हजाम पे0 – जगदीश ठाकुर के नाम पर मौजा मंदरामों के अंदर खाता नं0 – 110, प्लॉट नं0 – 2234 रकबा – 0.91 एकड चौहदी उ0 – भीखन महतो, द0+पू0+प0 – जंगल साखु दर्ज है।

(2) बिहार भूदान यज्ञ कमिटि की भूमि के जमींदार का नाम श्री महेश्वरी प्र0 देव सा0 + पो0 – बगोदर दर्ज है।

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 05 – बिहार भूदान यज्ञ कमिटि का पर्चा संख्या 501597 में दर्ज नाम युगल हजाम पे0 – जगदीश ठाकुर है जब कि प्रथम पक्ष के द्वारा ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति दाखिल किया है जिसमें जगदीश ठाकुर पिता – बढन ठाकुर मांग पंजी II भाग संख्या – 4 पेज नं0 – 217 है। इससे प्रतीत होता है कि बिहार भूदान यज्ञ कमिटि का पर्चा फर्जी तरीके से बनाया गया है तथा जमींदार के नाम तथा पता श्री महेश्वरी प्र0 ना0 सा0 बगोदर दर्ज है। जबकि श्री महेश्वरी प्र0 ना0 राजधनवार के राजा थे तथा उनका क्षेत्र थाना सरिया मौजा मंदरामों नहीं पडता है। इस आधार से बिहार भूदान यज्ञ कमिटि में दान करने का अधिकार मौजा – मंदरामों में श्री महेश्वरी प्र0 ना0 को नहीं था। इससे भी प्रतीत होता है कि उक्त पर्चा बनावटी वो फर्जी है।

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – द्वितीय पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विवरण :–

(1) वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज रूपन महतो वल्द भीखन महतो को भूतपूर्व जमींदार से हासिल है।

12.09.2024

(2) वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष को हासिल होने के पूर्व मौजा मंदरामों के अंदर थाना नं0– 45 खाता नं0– 110 (1) प्लॉट नं0 – 295 रकबा – 0.80 एकड़ प्लॉट नं0– 2420 रकबा – 1.01 एकड़ (3) प्लॉट नं0 – 2234 रकबा – 1.74 एकड़ प्लॉट नं0 – 2420 रकबा – 0.10 एकड़ एवं खाता नं0 – 1.95 प्लॉट नं0 – 2468 रकबा – 0.48 दोनों खाता के कुल 5 प्लॉट में कूल रकबा – 4.13 एकड़ हासिल है।

जिसे अमीन से दखल – कब्जा संबंधित फर्द अमीन रिपोर्ट दिनांक 11.02.1942 ई0 को समर्पित किया गया।

उक्त फर्द अमीन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद भूतपूर्व जमींदार को द्वारा उपरोक्त सभी प्लॉट का हुकुमनामा निर्गत किया गया तथा उक्त हुकुमनामा द्वितीय पक्ष के पूर्वज रूपन महतो के हासिल हुआ।

कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 07 – यह कि वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज को मिलने के बाद अपने दखल – कब्जा में लेकर लगान जमींदार को अदा करते चले आ रहे थे। तथा जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद अंचल कार्यालय बगोदर द्वारा बिहार सरकार वो वर्तमान में रूपन महतो के वंशजों के द्वारा अंचल कार्यालय सरिया वर्तमान झारखण्ड सरकार को लगान अदा कर लगान रसीद मांग पंजी II भाग संख्या – 1, पेज नं0– 232 से निर्गत कराते चले आ रहे हैं।

अंचल सरिया का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक– 454 दिनांक – 09.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 09 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 02 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 02 पृष्ठ एवं जमीन संबंधी अन्य दस्तावेज– 05 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

"उपरोक्त विषय के संबधं में कहना है कि आवेदिका शारदा मोसोमात पति जगदीश ठाकुर साकिन– पचम्बा, थाना– सरिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन का स्थानीय जाँच किया एवं आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जो निम्नवत् है। प्रश्नगत भूमि साकिन– मंदरामों, थाना सं0– 45 के अन्तर्गत गैरमजरूआ खास खाता संख्या– 110 प्लॉट संख्या– 2234 सर्वे खतियान के अनुसार रकबा 15.50 एकड़ है तथा किस्म भूमि जंगल दर्ज पाया गया। उक्त भूमि से संबंधित आवेदिका शारदा मसोमात द्वारा भूदान पर्चा सं0– 501597 में रकवा 91 डी0 दर्ज पाया गया है। ऑफलाई पृष्ठ संख्या 112/IV पर जगदीश ठाकुर पिता बढन ठाकुर दर्ज पाया गया। ऑनलाईन जमाबंदी पृष्ठ संख्या– 217/IV पर कायम है। जिसका पंजी प्प इस पत्र के साथ संलग्न है। आवेदिका

मसो0 शारदा जमाबंदी रैयत जगदीश ठाकुर की पत्नी है। जाँच के दौरान उक्त विवादित भूखण्ड पर चाहर दिवारी दिया हुआ पाया गया एवं एक कमरा स्बेस्टस का बना पाया गया जो विपक्षीगण रामेश्वर यादव वो त्रिवेणी पिता स्व0 प्रसादी यादव वो श्याम सुन्दर यादव वो मनोज यादव वगै0 पिता स्व0 बलदेव यादव द्वारा दिया गया है, जाँच के दौरान द्वितीय पक्ष से संबंधित भूमि की कागजात की माँग की गई जिसमें उन्होंने फर्द रिर्पोट अमीन अमीन खाता नं0– 110 एवं 195 के प्लॉट दिखाए है। जिसमें इस रकवा 4.13 एकड़ भूमि की चर्चा है। लगान रसीद 1975–76 से 2016–17 तक प्रस्तुत किया है जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ संख्या– 232/I पर रूपण महतो पिता भीखन महतो के नाम से दर्ज पाया गया जो ऑनलाईन में दर्ज नहीं पाया गया। उभय पक्षों में दखल कब्जा को लेकर विवाद है। प्रश्नगत भूमि को अमीन द्वारा सीमांकन कराने का अनुरोध प्रथम पक्ष द्वारा किया गया है। पूछ–ताछ से यह भी ज्ञात हुआ कि विवादित भूखण्ड से सटे उत्तर दिशा में द्वितीय पक्षों का रैयती भूमि है।"

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
मन्दरामों	45	110	2234	0.91 ए0	उ0– भीखन महतो, द0– जंगल साखु, पू0– जंगल साखु, प0– जंगल साखु

2. उक्त भूमि खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है।

3. **प्रथम पक्ष का दावा है कि** उपरोक्त जमीन युगल हजाम, पुत्र जगदीश ठाकुर, मौजा– मंदरामों को भू–दान पर्चा से हासिल है, पर्चा सं0– 501597 में रकवा 91 डी0 दर्ज है, जिसका जमाबंदी जगदीश ठाकुर पिता बढ़न ठाकुर के नाम से दर्ज है, जिसका ऑफलाईन लगान रसीद भोलुम नं0– 4 पेज नं0– 112 से निर्गत हो रहा है। प्रथम पक्ष शारदा मसोमात रैयत जगदीश ठाकुर की पत्नी है यह बात अंचल के रिपोर्ट में भी दर्ज है।

12.09.2024

4. **द्वितीय पक्ष का दावा है कि** उक्त वादग्रस्त भूमि सहित अन्य खाता प्लॉट मिलाकर कुल रकवा 4.13 एकड़ उनके पूर्वज रूपन महतो वल्द भीखन महतो को भूतपूर्व जमींदार से हुकुमनामा के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

5. **अंचल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि** प्रथम पक्ष की जमाबंदी ऑफलाईन पंजी–2 के पृष्ट संख्या– 112/IV पर तथा ऑनलाईन जमाबंदी पंजी के पृष्ट संख्या 217/IV पर जगदीश ठाकुर पिता बढन ठाकुर के नाम पर दर्ज है, आवेदिका मसोमात शारदा जमाबंदी रैयत जगदीश ठाकुर की पत्नी है। अंचल के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज रूपण महतो पिता भीखन महतो के नाम पर ऑफलाईन पंजी–2 के पृष्ट संख्या 232/I पर जमाबंदी कायम है तथा ऑनलाईन में जमाबंदी दर्ज नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि एक ही भूमि पर प्रथम पक्ष भूदान पर्चा के आधार पर दावा कर रहे हैं, तथा द्वितीय पक्ष हुकुमनामा बंदोबस्ती के आधार पर दावा कर रहे हैं, तथा अंचल के प्रतिवेदन के अनुसार दोनों पक्ष की जमाबंदी भी कायम हो गयी है। अतः स्पष्ट है कि इस संबंध में निपटारा करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः इस वाद में उभय पक्षों के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

12.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

12.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.23 11:56:36 +05:30
Location: 192.168.1.3